संख्या-163 /2021/4174/30-3-2021

प्रेषक,

डा० अखिलेश कुमार मिश्रा,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 22 दिसम्बर, 2021

विषय :- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद-बांदा में ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (डी0टी0आई0) के निर्माणाधीन परियोजना हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1789स0सु0/2021-30स0सु0/2020, दिनॉक 08-12-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 17-02-2021 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निम्नवत तालिका के स्तंभ-6 में अंकित जनपद-बांदा में ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (डी0टी0आई0) के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	समिति द्वारा अनुमोदित/संस्तुत लागत (रू0 लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि (रू0 लाख में)	द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदित धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	बांदा	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	786.73	52.48	697.59 (रू0 छः करोड़ सत्तानबे लाख उनसठ हजार मात्र)

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2021 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टयॉ मानक एवं गुणवता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा यह सुनिश्चित करेगें की कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(6) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह०/-
(डा० अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या-163/2021/4174(1)/30-3-2021, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी- बांदा।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(रेनू वर्मा)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।